



अधिसूचना

एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि कुलपति महोदय के आदेशानुसार जिन परीक्षा केन्द्रों पर विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना केन्द्राध्यक्ष अनुपस्थित पाये जायेंगे तो सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष/प्रबन्धक के विरुद्ध विश्वविद्यालय/शासनादेश के नियमानुसार कठोरतम् कार्यवाही (यथा-अनुमोदन/ सम्बद्धता निरस्त) सुनिश्चित की जायेगी।

परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. ब्यूरो प्रमुख/सम्पादक/ संवाददाता ————— को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त अधिसूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में जन हितार्थ निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. समस्त केन्द्राध्यक्ष/प्रबन्धक।
3. अध्यक्ष, परीक्षा संचालन समिति।
4. अध्यक्ष/महामंत्री, शिक्षक संघ, डा०रा०म०लो० अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
5. सहायक कुलसचिव/प्रधान सहायक, (परीक्षा/गोपनीय)।
6. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
7. वैयक्तिक सहायक वित्तअधिकारी/कुलसचिव, वित्तअधिकारी/कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
8. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की बेवसाइट एवं कालेज लॉगिन में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
9. पत्रावली।

परीक्षा नियन्त्रक